अजायब सिंह बनाम मुख्त्यार कौर

31-10-2023

अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट्/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि चक 9 एफ बड़ा के खाता संख्या 5/11 की कुल 1.999 हेक्टर भूमि के बाबत् विभाजन का वाद प्रस्तुत करते हुए आराजी जैर के विधिवत विभाजन की मांग किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन के आज्ञापक प्रावधान नियम 18 से 21 की मंशा के विपरीत जाकर विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी करते हुए आराजी जैर के मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त किये बिना, मौके पर पक्षकारों के कब्जे काश्त की स्थिति व धारण की भूमि के विपरीत जाकर विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी करते हुए अपीलांट् को उसके विधिक अधिकारों से वंचित किया गया है। प्रकरण में आदेश जैर अपील विभाजन के सिद्वान्तों की मंशा के विपरीत पारित किया गया आदेश होने से अपीलांट् की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र पर मौके पर पक्षकारों के कब्जे काश्त व धारण की भूमि के अनुरूप ही विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। अपीलांट् यदि उक्त आदेश से किसी प्रकार से व्यथित भी है तो ऐसी स्थिति में वह विभाजन की अंतिम डिक्री जारी होने से पूर्व अपनी आपत्तियॉ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। अपीलांट् द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी करते हुए अपीलांट् के कब्जे काश्त की भूमि को दृष्टिगत् रखते हुए प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। ऐसी स्थिति में उक्त अपील के माध्यम से अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया।

प्रकरण में अपीलांट् द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 10–08–2021 जिसके माध्यम से आराजी जैर के विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है, से व्यथित होकर उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि अधीनंस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते हुए सभी पक्षकारों के हितों को दृष्टिगत् नहीं रखा गया है। प्रकरण में अधीनस्थ

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत् विभाजन की प्राथमिक डिक्री तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर जारी की गई है। अपीलांट् यदि विभाजन की प्राथमिक डिक्री दिनांक 10–08–2021 से किसी प्रकार से व्यथित है तो ऐसी स्थिति में अपीलांट् द्वारा उक्त आशय की आपत्ति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए चाराजोई की जा सकती थी, परन्तु अपीलांट् द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की प्राथमिक डिक्री पर आपत्ति प्रस्तुत करने के स्थान पर उक्त आदेश को न्यायालय हाजा के समक्ष चुनौती दी गई है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील के माध्यम से अपीलांट् को किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता, परन्तु इस संबंध में अपीलांट् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्राथमिक डिक्री के विरूद्व अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वे अपीलांट् की आपत्ति पर उसे सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए अपीलांट् की आपत्ति का निस्तारण करने के उपरान्त विभाजन की अंतिम डिक्री जारी करें। पत्रावली उपरोक्त विवचेन के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की ज़ाती है। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफत्र हो।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर